# Disclaimer

**This piece of document has been developed by Centre for Civil Society from the original document received from the concerned department directly or through Right to Information application. This is an attempt to bring crucial documents in public. Centre has been attentive to not to make any error while creating this document. However, Centre is not responsible for any error in the document. User of this document would have the complete responsibility of consequences coming out from use of this document whatsoever it may be. Centre would appreciate people/organization for bringing in its notice any error observed by the user.**

# कार्यालय जयपुर नगर निगम, जयपुर

(पण्डित दीनदयाल उपाध्याय भवन, लालकोठी, टोंक रोड, जयपुर)

क्रमांकः एफ–15( )अ.स.नि.उ.नि.रा./जननि/823 दिनांकः 17.09.2007

## सार्वजनिक सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 1959 की धारा 90 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये जयपुर नगर निगम की नियम उपनियम समिति द्वारा हाथ ठेला, बैलगाड़ी, उँटगाडी, रिक्शा ट्रोली, तांगा धीमीगति वाहन चालान उपविधियाँ 2007 का प्ररूप स्वीकृति किया गया है। अगर इस सम्बंध में जयपुर नगर निगम क्षेत्र के किसी भी व्यक्ति या सरकारी/अर्द्धसरकारी/गैर सरकारी संस्था को आपत्ति हो तो सूचना जारी होने के 10 दिवस के भीतर लिखित रूप से या उक्त समय तक अपने सुझाव/आपत्ति डाक द्वारा प्रेषित कर सकते है। प्राप्त आपत्तियों की सुनवाई/ विचार विमर्श दिनांक 29.09.2007 को दोपहर 2.00 बजे से समिति कक्ष कमरा नम्बर 209 में नगर निगम मुख्यालय भवन पर नियम उपनियम समिति द्वारा निर्णय किया जावेगा। इस अवधि के पश्चात् प्राप्त होने वाली कोई भी आपत्ति/सुझाव पर जयपुर नगर निगम द्वारा कोई सुनवाई नहीं की जावेगी। कृपया सूचित रहे। धीमीगति वाहन चालान उपविधियां 2007 सम्बन्धी उपविधियां नगर निगम के नोटिस बोर्ड, लाईब्रेरी, अथवा समिति कक्ष 209 में देखे जा सकते है।

**(राजेन्द्र प्रसाद सिंघल)**
सचिव एवं आयुक्त (राजस्व)
नियम उपनियम समिति
जयपुर नगर निगम

**(प्रभातीलाल शर्मा)**
अध्यक्ष
नियम उपनियम समिति
जयपुर नगर निगम

**प्रतिलिपिः– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।**

1. निजी सहायक महापौर/उपमहापौर महोदर, नगर निगम जयपुर।
2. निजी सहायक, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नगर निगम जयपुर।
3. आयुक्त (मुख्यालय), नगर निगम जयपुर।
4. आयुक्त ........................................ जोन, नगर निगम जयपुर को भेजकर लेख है कि कार्यालय नोटिस बोर्ड पर आज ही संलग्न प्रति लगवाये जाने का श्रम करें।
5. अध्यक्ष ........................................................ समिति एवं बोर्ड के सदस्य, नगर निगम जयपुर।
6. कार्यालय अधीक्षक, जिला कलक्टर कार्यालय, जयपुर को आज ही नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित करने हेतु प्रेषित है।
7. प्रभारी अधिकारी, सूचना केन्द्र, एस.एम.एस. को नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित करने हेतु।
8. प्रभारी सार्वजनिक पुस्तकालय चौडा रास्ता को प्रेषित कर लेख है कि आज ही नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित करने हेतु लगावें।

9. कार्यालय अधीक्षक, नगर निगम, जयपुर आज ही नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु।
10. सहायक जनसम्पर्क अधिकारी, नगर निगम, जयपुर को भेजकर लेख है कि जयपुर शहर में प्रचलित दैनिक अखबारों में इस नोटिस को प्रकाशित करने हेतु प्रेषित है।

**सचिव एवं आयुक्त (राजस्व)**
**नियम उपनियम समिति**
**जयपुर नगर निगम**

**अध्यक्ष**
**नियम उपनियम समिति**
**जयपुर नगर निगम**

राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 1959 की धारा 90 (1) (झ) (भ) (म) (य) (क) (घ) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये जयपुर नगर निगम एतद्द्वारा निम्न उपविधियां बनाता है नामतः :–

# जयपुर नगर निगम हाथ ठेला, बैलगाड़ी, ऊंटगाड़ी, रिक्शा ट्राली, तांगा, धीमीगति वाहन चालन उपविधियां 2007

1. **शीर्षक सीमा एवं प्रभाव :–**

**(क)** ये उपविधियां जयपुर नगर निगम हाथ ठेला, बैलगाड़ी, ऊंटगाड़ी, रिक्शा, ट्राली, तांगा उपविधियां 2007 कहलावेंगी।

**(ख)** ये उपविधियां राजस्थान सरकार से स्वीकृत होकर राजपत्र में प्रकाशित होने की तिथि से प्रभावशील होंगी।

**(ग)** ये उपविधयां जयपुर नगर निगम की समस्त सीमा में प्रभावशील होंगी।

2. **शाब्दीक परिभाषाऐं :–** जब तक अर्थ में असंगता अथवा भाव में विपरीतता न हो इन उपविधियों के प्रयोजनार्थ निम्नांकित शब्दों की परिभाषा निम्न प्रकार होंगीः–

**(क)** ''महापौर'' से तात्पर्य जयपुर नगर निगम के महापौर से है।

**(ख)** ''अध्यक्ष'' से तात्पर्य नगरपालिका अधिनियम की धारा 73 के अन्तर्गत जयपुर नगर निगम की सम्बंधित लाइसेंस समिति के अध्यक्ष से है।

**(ग)** ''अनुज्ञा पत्र'' से तात्पर्य इन उपविधियों के अन्तर्गत प्रदान किये जाने वाले अनुज्ञा पत्र से है।

**(घ)** ''अनुज्ञापत्रधारी'' से अभिप्रेत इन उपविधियों के अन्तर्गत अनुज्ञापत्र प्राप्त करने वाले व्यक्ति से है, इसमें इसका अभिकर्ता, प्रतिनिधि एवं अन्य कर्तव्यस्थ सेवक सम्मिलित होगा।

**(ड़)** ''आयुक्त'' से तात्पर्य जयपुर नगर निगम के आयुक्त से है एवं इस उपविधि के प्रयोजनार्थ अनुज्ञापत्र प्राधिकारी होगा जिसमें मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं क्षेत्रीय आयुक्त भी शामिल है।

**(च)** ''निगम'' से अभिप्रेत जयपुर नगर निगम से है।

**(छ)** ''धीमीगति वाहन चालन हाथ ठेला, बैलगाडी, ऊंटगाडी, रिक्शा ट्राली, तांगा'' से तात्पर्य जो किसी व्यक्ति द्वारा चालक के रूप में उक्त वाहन चलाए जाते है से है।

**(ज)** ''प्रपत्र'' से तात्पर्य इस उपनियम के साथ संलग्न प्रपत्र से है।

**(झ)** ''राजस्व अधिकारी'' से तात्पर्य जयपुर नगर निगम के राजस्व अधिकारी से  है इसमें जोन में नियुक्त राजस्व अधिकारी, राजस्व निरीक्षक, सहायक राजस्व निरीक्षक, मुख्य स्वास्थ्य निरीक्षक, स्वास्थ्य निरीक्षक शामिल है।

जो लोग यहां परिभाषित नही किये गये है उनके सम्बंध में नगरपालिका अधिनियम 1959 में दी गई परिभाषाएं लागू होंगी।

3. **निषेध :–** जयपुर नगर निगम की सीमा में कोई भी व्यक्ति, बिना नगर निगम की अनुज्ञा प्राप्त किए बिना हाथ ठेला, बैलगाड़ी, ऊंटगाड़ी, रिक्शा ट्राली, तांगा नहीं चला सकेगा।

4. **चालन अनुज्ञप्ति या हाथ ठेला, बैलगाड़ी, ऊंटगाड़ी, रिक्शा ट्राली, तांगा अनुज्ञप्ति आवश्यक :–** कोई भी व्यक्ति जो हाथ ठेला, बैलगाड़ी, ऊंटगाड़ी, रिक्शा ट्राली तांगा का प्रयोग करने, चलाने या उपयोग में लेने, भाड़े पर देने या निजी उपयोग पर लेने अपने स्वामित्वाधीन या अपने पास नहीं रखेगा और कोई भी व्यक्ति नगरपालिकाओं की सीमाओं के भीतर गलियों, सार्वजनिक स्थानों में ना तो हाथ ठेला, बैलगाडी, ऊंटगाड़ी रिक्शा ट्राली, तांगा चलाएगा या उपयोग में लेगा जब तक की वह इन उपविधियों के अधीन उसके द्वारा अभी प्राप्त चालक अनुज्ञप्ति या हाथ ठेला, बैलगाड़ी, ऊंटगाड़ी, रिक्शा ट्राली, तांगा अनुज्ञप्ति यथास्थिति धारण न करता हों।

5. **चालक अनुज्ञप्ति प्रदान करने हेतु पात्रता :–** इन उपविधियों के अधीन कोई भी व्यक्ति चालक अनुज्ञप्ति प्रदान किये जाने हेतु पात्र होगा यदि :–

**(i)** वह चालक हो और इन उपविधियों के प्रारम्भ के समय किसी बोर्ड द्वारा प्रदान की गई चालक अनुज्ञप्ति धारण करता हो या वो राजस्थान में कही भी हाथ ठेला, बैलगाडी, ऊंटगाड़ी, रिक्शा ट्राली, तांगा चला रहा है।

**(ii)** वह बीस वर्ष से अधिक और पचास वर्ष से कम आयु का हो एवं राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिये।

**(iii)** उसके स्वास्थ्य की सामान्य स्थिति ऐसी हों कि वह हाथ ठेला, बैलगाड़ी, ऊंटगाड़ी, रिक्शा ट्राली, तांगा चलाने (ठेलने) का श्रम और तनाव सहन कर सके।

**(iv)** वह किसी संक्रामक रोग से पीड़ित ना हों।

**(v)** वह यातायात नियमों से सुपरिचित हो और उसे शहर के भीतर की सड़कों, रास्तों की अच्छी जानकारी हों।

**(vi)** वह स्वभावतः अपराधी या स्वभावतः शराब पीने वाला ना हों।

**(vii)** उसे नैतिक अक्षमता के लिये किसी न्यायालय से सिद्धदोष नहीं किया गया हो।

## 6. अनुज्ञा पत्र प्राप्ति की प्रणाली :–

**(i)** कोई भी व्यक्ति जो इन उपविधियों अधीन हाथ ठेला, बैलगाड़ी, ऊंटगाड़ी, रिक्शा ट्राली, तांगा अनुज्ञप्ति प्राप्त करने हेतु पात्र हो वह लिखित में प्रपत्र–1 में अनुज्ञप्ति प्रदान करने हेतु अनुज्ञापन प्राधिकारी को आवेदन कर सकेगा। हाथ ठेला, बैलगाड़ी, ऊंटगाड़ी, रिक्शा ट्राली, तांगा अनुज्ञप्ति के लिये आवेदन प्राप्त होने पर अनुज्ञापन प्राधिकारी उसे प्रपत्र–2 में रजिस्टर में क्रम से रजिस्ट्रीकृत करेगा और प्रपत्र–3 में अनुज्ञापत्र जारी कर सकेगा।

**(ii)** आवेदन प्राप्त होने के 30 दिन के भीतर अनुज्ञापन प्राधिकारी आवेदन की समीक्षा करेगा और जांच करने के पश्चात् अनुज्ञापत्र जारी कर सकेगा या अस्वीकृत कर सकेगा।

**(iii)** अनुज्ञापन प्राधिकारी चाहे तो आवेदक के हाथ ठेला, बैलगाड़ी, ऊंटगाड़ी, रिक्शा ट्राली, तांगा अनुज्ञापन प्राधिकारी के समक्ष ऐसे समय तथा तारीख पर निरक्षणार्थ पेश करेगा जो कि अनुज्ञापन प्राधिकारी इस प्रयोजनार्थ नियत करे। यदि नियम तारीख, समय, स्थान पर हाथ ठेला, बैलगाड़ी, ऊंटगाड़ी, रिक्शा ट्राली, तांगा पेश करने में असफल रहता है तो अनुज्ञप्ति के लिये उसका आवेदन रद्द कर दिया गया समझा जावेगा।

**(iv)** अनुज्ञापन प्राधिकारी हाथ ठेला, बैलगाड़ी, ऊंटगाड़ी, रिक्शा ट्राली, तांगा का निरीक्षण करेगा और स्वंय को संतुष्ट करेगा कि (अ) हाथ ठेला,

बैलगाड़ी, ऊंटगाड़ी, रिक्शा ट्राली, तांगा ठोस बनावट का है और काफी मजबूत है और अच्छी दशा में है। (ब) हाथ ठेला, बैलगाड़ी, ऊंटगाड़ी, रिक्शा ट्राली, तांगा के आगे के भाग में एक बत्ती और घंटी लगी हुई है तथा पीछे की ओर एक लाल प्रतिबिम्बक या लालबत्ती लगी हुई है एवं चालु हालत में है।

**7. हाथ ठेला, बैलगाड़ी, ऊंटगाड़ी, रिक्शा ट्राली, तांगा अनुज्ञप्ति प्रदान करने की शर्तें :–**

इन उपविधियों के अधीन प्रदान की गई अनुज्ञप्ति निम्नलिखित शर्तो के अधीन होगी और इन उपविधियों के अधीन अनुज्ञप्ति करने वाला कोई भी व्यक्ति :–

**(i)** दण्डनायक या अनुज्ञापन प्राधिकारी/जोन आयुक्त, राजस्व अधिकारी या ड्यूटी पर तैनात ट्रेफिक पुलिस के किसी सदस्य के आदेश के अनुशरण में अपना हाथ ठेला, बैलगाड़ी, ऊंटगाड़ी, रिक्शा ट्राली, तांगा पेश करने में असफल नहीं होगा।

**(ii)** **नो पार्किंग :–** वाहन को सड़क पर खड़ा करना, स्लीप लेन में खड़ा करना, वाहन को निर्धारित पार्किंग स्थल के अतिरिक्त खड़ा करने पर प्रतिबन्ध होगा।

**(iii)** **ट्रेफिक सिग्नल का उल्लंघन :–** लालबत्ती में वाहन को नहीं ले जायेगा, ट्रेफिक जवान के इशारे का पालन करेगा, पीली लाइट होते ही वाहन स्टॉप लाईन पर रोकेगा।

**(iv)** **स्टॉप लाइन का उल्लंघन :–** लालबत्ती होने पर वाहन को स्टॉप लाइन पर खड़ा करेगा।

**(v)** **वनवे का उल्लंघन :–** निर्धारित समय में व निर्धारित मार्ग पर वनवे की पालना करेगा।

**(vi)** **यू टर्न लेना :–** वाहन को सड़क पर चलाते–चलाते अचानक दांही ओर अथवा बांई ओर मोड़ लेना, किसी भी कट या घुमाव में प्रवेश करना वर्जित होगा।

**(vii)** धीमीगति के वाहन के बाहर सरीया या नुकिली चीज निकली हुई नहीं होगी तथा वाहन के पिछले हिस्से में लाल कपड़ा लगाना होगा जिससे दुर्घटना ना हो।

**(viii)** **ओवर लोड :–** वाहन की लम्बाई चौडाई से बाहर वाहन में सामान भरना एवं निर्धारित ऊंचाई से ऊपर सामान भरना वर्जित होगा। क्षमता से अधिक माल/सामान नहीं भरा जावेगा।

**(ix)** खतरनाक एवं लापरवाही पूर्वक तरीके से वाहन चलाना प्रतिबंधित होगा।

**(x)** वाहन को रोंग साइड चलाना वर्जित होगा।

**(xi)** निर्धारित संख्या से ज्यादा सवारियां बैठना रिक्शा ट्रोली व तांगा में निर्धारित सवारी से ज्यादा सवारी बैठाना प्रतिबन्धित होगा।

**(xii)** सामान ढोने वाले वाहनों में सवारियां बैठाना प्रतिबन्धित होगा।

**(xiii)** धीमीगति के वाहन बाई तरफ नहीं चलनाः– ट्रेफिक नियम के आधार पर सबसे तेजगति वाले वाहन सड़क के दाहिनी तरफ, उससे कम मध्य लेन एवं सबसे कम गति वाले वाहन बांई लेन में चलने चाहिये।

**(xiv)** वर्जित प्रवेश (नो एन्ट्री)ः– वर्जित प्रवेश समय में परकोटे के अन्दर हाथ ठेला, बैलगाड़ी, ऊंटगाड़ी, रिक्शा ट्राली, तांगा निर्धारित समय के अतिरिक्त नहीं चलाए जावेंगे।

**(xv)** बैलगाडी, ऊंटगाडी इत्यादि में जो भी जानवर उपयोग में लिया जावेगा वह स्वस्थ होना चाहिये।

**(xvi)** अनुज्ञप्ति धारक अपनी एक बैल की बैलगाडी में 10 क्विंटल, 2 बैल की बैलगाड़ी में 15 क्विंटल व ऊंटगाड़ी में 12 क्विंटल, रिक्शा ट्राली में 3 क्विंटल एवं हाथ ठेले में 4 क्विंटल से अधिक माल नहीं ढोयेगा।

**8.** हाथ ठेला, बैलगाड़ी, ऊंटगाड़ी, रिक्शा ट्राली, तांगा पर रजिस्ट्रेशन प्लेट लगाना हाथ ठेला, बैलगाड़ी, ऊंटगाड़ी, रिक्शा ट्राली, तांगा अनुज्ञप्ति का प्रत्येक धारक अपने हाथ ठेला, बैलगाड़ी, ऊंटगाड़ी, रिक्शा ट्राली, तांगा पर जिसके लिये उसे अनुज्ञप्ति प्रदान की गई है धातु की उस आकार की एक प्लेट जैसा कि अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा निर्देश दिया जावें हाथ ठेला, बैलगाड़ी, ऊंटगाड़ी, रिक्शा ट्राली, तांगा के पीछे किसी उपर्युक्त स्थान पर लगाएगा और उस पर अनुज्ञप्ति/रजिस्ट्रेशन की संख्या लिखेगा।

**9. चालक के कर्तव्य :–**

**(i)** प्रत्येक चालक हाथ ठेला, बैलगाड़ी, ऊंटगाड़ी, रिक्शा ट्राली, तांगा का

यातायात ड्यूटी पर तैनात किसी पुलिस अधिकारी जो सहायक सबइंसपेक्टर की रैंक के नीचे का न हो या अनुज्ञापन प्राधिकारी/राजस्व अधिकारी द्वारा पेश करने को कहा जाए पेश करेगा।

**(ii)** जिस चालक अनुज्ञप्ति प्रदान की गई हो अपनी भुजा पर या अपने शरीर के ऐसे भाग पर जहां वह स्पष्ट रूप दिखाई दे एक धातु का बैच जिस पर उसकी चालक अनुज्ञप्ति की संख्या लिखी होगी धारण करेगा।

**(iii)** नशे की स्थिति में वह हाथ ठेला, बैलगाड़ी, ऊंटगाड़ी, रिक्शा ट्राली, तांगा नहीं चलाएगा ना ही ठेलेगा और किसी भी प्रकार की अपमानजनक गाली गलौच वाली या अश्लील भाषा का उपयोग नहीं करेगा या किसी अन्य चालक राहगीर को जानबूझकर बांधा या अड़चन नहीं डालेगा या किसी अन्य चालक को किराये पर लेने से गलत प्रकार से ना तो रोकेगा और ना ही किसी प्रकार से उसे रोकने का प्रयास करेगा।

**(iv)** यातायात विनियमन/नियंत्रण के लिये यातायात ड्यूटी पर तैनात किसी भी पुलिस अधिकारी या अनुज्ञापन प्राधिकारी या राजस्व अधिकारी के किसी भी निर्देश की अवज्ञा नहीं करेगा।

**10. अनुज्ञप्ति फीस :–** इन उपविधियों के अधीन आवेदक को चालक अनुज्ञप्ति और हाथ ठेला, बैलगाड़ी, ऊंटगाड़ी, रिक्शा ट्राली, तांगा अनुज्ञप्ति केवल आवेदक द्वारा जयपुर नगर निगम को निम्नलिखित फीस का संदाय करने के पश्चात् ही अनुज्ञप्ति प्रदान की जायेगीः–

**(i)** **चालक अनुज्ञप्ति फीस :–** 50 रू. प्रति वर्ष

**(ii)** **चालक के लिये धातु का बैज :–** 20 रू. प्रति बैज

**(iii)** हाथ ठेला, बैलगाड़ी, ऊंटगाड़ी, रिक्शा ट्राली, तांगा अनुज्ञप्ति फीस 50रू. प्रतिवर्ष।

**(iv)** हाथ ठेला, बैलगाड़ी, ऊंटगाड़ी, रिक्शा ट्राली, तांगा हेतु धातु की प्लेट फीट 20 रू. प्रति प्लेट।

**11. हाथ ठेला, बैलगाड़ी, ऊंटगाड़ी, रिक्शा ट्राली, तांगा अनुज्ञप्ति और चालक अनुज्ञप्ति की अवधि :–** इन उपविधियों के अधीन प्रदान की गई प्रत्येक

हाथ ठेला, बैलगाड़ी, ऊंटगाड़ी, रिक्शा ट्राली, तांगा अनुज्ञप्ति और चालक अनुज्ञप्ति वित्तीय वर्ष के लिये विधि मान्य होगी और प्रत्येक वर्ष 31 मार्च को समाप्त हो जावेगी।

12. **हाथ ठेला, बैलगाड़ी, ऊंटगाड़ी, रिक्शा ट्राली, तांगा अनुज्ञप्ति और चालक अनुज्ञप्ति का प्रतिसंहरण :–** यदि ऐसा कोई व्यक्ति जिसे इन उपविधियों के अधीन अनुज्ञप्ति प्रदान की गई हो तथा उपविधि के नियमों में वर्णित किन्ही भी शर्तो का पालन और अनुपालन करने में असफल रहता है तो अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा व्यक्ति को सुनवाई करने के पश्चात् हाथ ठेला, बैलगाड़ी, ऊंटगाड़ी, रिक्शा ट्राली, तांगा अनुज्ञप्ति या चालक अनुज्ञप्ति या दोनों को विहित कालावधि के लिये रद्द कर सकेगा। प्रतिसंहरण कर सकेगा या निलंबन कर सकेगा जिसकी अपील एक माह के अंदर नियम उपनियम समिति को की जा सकेगी।

13. **हाथ ठेला, बैलगाड़ी, ऊंटगाड़ी, रिक्शा ट्राली, तांगा को रोकने अभिग्रहण करने या निरूद्ध करने की शक्ति :–**

**(i)** अनुज्ञापन प्राधिकारी/आयुक्त/राजस्व अधिकारी और यातायात ड्यूटी पर तैनात कोई भी पुलिस अधिकारी जो सबइंसपेक्टर की रैंक से नीचे का ना हो किसी भी सार्वजनिक स्थान/मार्ग पर चालक से अपेक्षा कर सकेगा कि वह उक्त वाहन का निरीक्षण कराए आगे की बत्ती पीछे का लाल रिफ्लेक्टर या पीछे की बत्ती, ब्रेक, ट्यूब टायर उपयोग में लेने, ठेलने चलाने के लिये योग्य हैं यदि ऐसा निरीक्षण पर नहीं पाया जाता हैं तो वह हाथ ठेला, बैलगाड़ी, ऊंटगाड़ी, रिक्शा ट्राली, तांगा को रोकने, अभिग्रहण करने या निरूद्ध करने की शक्ति रखेगा।

**(ii)** अनुज्ञापन प्राधिकारी/आयुक्त/राजस्व अधिकारी और यातायात ड्यूटी पर तैनात कोई भी पुलिस अधिकारी जो सहायक सबइंस्पेक्टर की रैंक से नीचे का न हो चालक द्वारा यातायात नियमों का इन उपविधियों के नियम 7 का पालन नहीं करने पर हाथ ठेला, बैलगाड़ी, ऊंटगाड़ी, रिक्शा ट्राली, तांगा को रोकने, अभिग्रहण करने या निरूद्ध करने की शक्ति रखेगा।

**14. चालक अनुज्ञप्ति और हाथ ठेला, बैलगाड़ी, ऊंटगाड़ी, रिक्शा ट्राली, तांगा का नवीनीकरण :–** कोई भी व्यक्ति जो विधिमान्य चालक व अनुज्ञप्ति या हाथ ठेला, बैलगाड़ी, ऊंटगाड़ी, रिक्शा ट्राली, तांगा अनुज्ञप्ति या दोनों, यथास्थिति, धारण करता हो और इनका नवीनीकरण कराने का इच्छुक हो, प्रपत्र–1 में अनुज्ञापन प्राधिकारी संतुष्ट होने पर अनुज्ञा पत्र जारी कर देगा। नवीनीकरण फीस इन उपविधियों के नियम 10 के अनुसार देय होगी।

**15. उपविधियों के प्रावधानों का उल्लंघन करने पर अर्थदण्ड :–**

**(i)** दण्डनायक या अनुज्ञापन प्राधिकारी/जोन आयुक्त, राजस्व अधिकारी या ड्यूटी पर तैनात ट्रेफिक पुलिस के किसी सदस्य के आदेश के अनुशरण में अपना हाथ ठेला, बैलगाड़ी, ऊंटगाड़ी, रिक्शा ट्राली, तांगा पेश करने में असफल होने पर।

**(ii)** **नो पार्किंग:–** वाहन को सड़क पर खड़ा करना, स्लीप लेन में खड़ा करना, वाहन को निर्धारित पार्किंग स्थल के अतिरिक्त खड़ा करने पर।

**(iii)** **ट्रेफिक सिग्नल का उल्लंघन :–** लालबत्ती में वाहन को ले जाना, ट्रेफिक जवान के इशारे का उल्लंघन करना, पीली लाइट होते ही वाहन स्टॉप लाईन पर नहीं रोकने पर।

(iv) **स्टॉप लाईन का उल्लंघनः–** लालबत्ती होने पर वाहन को स्टॉप लाईन पर खड़ा नहीं करने पर।

(v) **वनवे का उल्लंघन :–** निर्धारित समय में व निर्धारित मार्ग पर वनवे की पालना नहीं करने पर।

(vi) **यू टर्न लेनाः–** वाहन को सड़क पर चलाते–चलाते अचानक दांही और अथवा बांई और मोड़ लेना, किसी भी कट या घुमाव में प्रवेश करने पर।

(vii) **ओवर लोडः–** वाहन की लम्बाई, चौडाई से बाहर वाहन में सामान भरना एवं निर्धारित ऊंचाई से ऊपर सामान भरने पर।

(viii) खतरनाक एवं लापरवाही पूर्वक तरीके से वाहन चलाने पर।

(ix) वाहन को रोंग साइड चलाने पर।

(x) निर्धारित संख्या से ज्यादा सवारियां बैठाना रिक्शा ट्रोली व तांगा में निर्धारित सवारी से ज्यादा सवारी बैठाने पर।

(xi) सामान ढोने वाले वाहनों में सवारियां बैठाने पर।

(xii) धीमीगति के वाहन बांई तरफ नहीं चलना, ट्रेफिक नियम के आधार पर सबसे तेज गति वाले वाहन सड़क के दाहिनी तरफ, उससे कम मध्य लेन एवं सबसे कम गति वाले वाहन बाई लेन में चलने पर।

(xiii) वर्जित प्रवेश (नो एन्ट्री):– वर्जित प्रवेश समय में परकोटे के अंदर हाथ ठेला, बैलगाड़ी, ऊंटगाड़ी, रिक्शा ट्राली, तांगा निर्धारित समय के अतिरिक्त चलाने पर।

प्रत्येक त्रुटि पर मौके पर 100/– रूपये का कैरिंग चार्ज देय होगा जो निगम का सक्षम अधिकारी वसूली कर सकेगा।

**16.** इसके साथ इन उपविधियों के नियम 15 में कैरिंग चार्ज अदा नहीं करने पर दोषी व्यक्ति का अभियोजन सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत करने का अधिकार आर.एम. एक्ट की धारा 265 की सक्षम स्वीकृति के बाद परिवादी आयुक्त को होगा एवं सक्षम न्यायाधीश द्वारा 500/– रू0 का अर्थदण्ड दिया जा सकेगा।

**17.** न्यायालय में विचाराधीन अभियोग को वापस लेने अथवा समझौता करने का अधिकार राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 1959 की धारा 266 के तहत् होगा।

**18.** **निरसन एवं व्यावृत्तियाँः–** इन उपविधियों के प्रवर्तन में आने के पश्चात् पूर्व में प्रचलित हैन्ड कार्ड, ट्रेफिक एवं रिक्शा विनियमन के आदेश/निर्देश/विज्ञप्तियाँ निरस्त समझी जावेंगी लेकिन इस उपविधियों के प्रवर्तन में आने से पूर्व निरसित उपविधि आदेश/ निर्देश/विज्ञप्तियों के तहत किया गया कोई उपविधि प्रभावशील होने के कारण अवैध नहीं समझा जावेगा।

**(राजेन्द्र प्रसाद सिंघल)**
सचिव एवं आयुक्त (राजस्व)
नियम उपनियम समिति
जयपुर नगर निगम

**(प्रभातीलाल शर्मा)**
अध्यक्ष
नियम उपनियम समिति
जयपुर नगर निगम